International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 04(I), October-December, 2026, pp. 45-53

राजस्थान के जयपुर रियासत के उपाश्रयी वर्ग का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन मीना जनजाति के विशेष संदर्भ में (1920 ई. से 1957 ई. तक)

राजेन्द्र मीना[1*] | डॉ. अमित चमोली[2]

[1]शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)।
[2]शोध निर्देशक, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)।

[*]Corresponding Author: raaztheprince08@gmail.com

Citation: मीना, राजेन्द्र एवं चमोली, अमित (2026). राजस्थान के जयपुर रियासत के उपाश्रयी वर्ग का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन मीना जनजाति के विशेष संदर्भ में (1920 ई. से 1957 ई. तक). International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(04(I)), 45–53. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.4(I).9644

सार

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 1920 ई. से 1957 ई. के समयांतराल में जयपुर रियासत के उपाश्रयी (Subaltern / हाशिए पर स्थित) वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण करना है। विशेष रूप से मीना जनजाति पर केंद्रित यह अध्ययन उनके पारंपरिक सामाजिक संगठन, प्रशासनिक भूमिकाओं, आर्थिक आधार संरचना तथा औपनिवेशिक व सामंती नीतियों के विनाशकारी प्रभावों को रेखांकित करता है। 1920 के दशक में लागू किए गए दमनकारी 'जरायम पेशा कानून' (Criminal Tribes Act) तथा चौकीदारी प्रथा के सामाजिक–आर्थिक दुष्परिणामों का गहन अध्ययन करते हुए यह पत्र स्वतंत्रता–पश्चात् (1947–1957) हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों, पुनर्वास नीतियों, कानून निरसन एवं शैक्षणिक–राजनीतिक चेतना के उद्भव का व्यापक लेखा–जोखा प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और राजस्थान राज्य अभिलेखागार (बीकानेर) के प्रशासनिक रिकॉर्ड्स के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि 20वीं सदी के मध्य में मीना समुदाय का संघर्ष केवल कानूनी मुक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक–सामंती उत्पीड़न से नागरिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक पुनरुत्थान की दिशा में एक युगांतकारी ऐतिहासिक यात्रा थी।

शब्दकोश: *सामाजिक–आर्थिक अध्ययन, जनजाति, जरायम पेशा कानून, पुनर्वास नीतियां, शैक्षणिक–राजनीतिक चेतना।*

प्रस्तावना

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Context)

बीसवीं सदी के प्रथमार्द्ध में राजस्थान का सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य सामंती व्यवस्था, ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण तथा पारंपरिक जातीय संरचना के एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय समिश्रण द्वारा संचालित था। राजपूत रियासतों में जयपुर (ढूंढाड़) रियासत का एक विशिष्ट ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व रहा है। इस रियासत की सामाजिक संरचना में विभिन्न कृषक, शिल्पकार, श्रमजीवी तथा जनजातीय समूह निवास करते थे। इनमें से मीना जनजाति का स्थान न केवल सांख्यिकी की दृष्टि से विशाल था, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली रहा है।

Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

ऐतिहासिक संदर्भों एवं ख्यात साहित्य (जैसे मुहणौत नैणसी री ख्यात और कर्नल जेम्स टॉड की कृतियों) के अनुसार, 10वीं से 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजवंश के आगमन से पूर्व संपूर्ण ढूंढाड़ प्रदेश (आमेर, जयपुर, दौसा, खोह और मांच) पर मीना समुदाय के विभिन्न गोत्रों का स्वतंत्र राजनीतिक आधिपत्य था। आमेर में चंदा वंश तथा खोह में गांगवत वंश के मीना शासक सत्तासीन थे। कछवाहा शासक दुलहराय एवं उनके वंशजों द्वारा मीना सरदारों को पराजित कर आमेर राज्य की नींव रखी गई। परंतु, इस राजनीतिक परिवर्तन के उपरांत भी कछवाहा शासकों ने मीना समुदाय की सामरिक शक्ति और जनसांख्यिकीय महत्व को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप, जयपुर राज्य की पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली में मीना समुदाय को एक उच्च एवं सम्मानजनक स्थान दिया गया। आमेर एवं जयपुर के राजकोष (खजाने) की सुरक्षा, राजप्रासाद की आंतरिक सुरक्षा तथा नए राजा के राजतिलक के समय मीना कबीले के प्रमुख द्वारा अपने अंगूठे के रक्त से राजतिलक करने की समृद्ध परंपरा शताब्दियों तक जीवंत रही।

तथापि, 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में और विशेषकर 1818 ई. की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जयपुर राज्य की संधि के बाद, रियासती शासन का स्वरूप बदलने लगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने रियासती कर–प्रणाली, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में सीधा हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। सामंती ढांचे के सुदृढ़ीकरण और औपनिवेशिक प्रशासनिक नियंत्रण के इस दोहरे दबाव के कारण पारंपरिक ग्रामीण सुरक्षा प्रणाली में भारी विघटन आया। जिन मीना योद्धाओं को पूर्व में भूमि–अनुदान (माफी भू–भाग) और विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, उन्हें औपनिवेशिक और रियासती अभिलेखों में धीरे–धीरे एक 'नियंत्रित' तथा 'संदिग्ध' वर्ग के रूप में निरूपित किया जाने लगा। इस प्रशासनिक उत्पीड़न ने इस स्वाभिमानी समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए (Subaltern) पर धकेल दिया। 1920 से 1957 ई. का कालखंड इस समुदाय के इतिहास में अभूतपूर्व दमन, संगठित सामाजिक जागृति, सत्याग्रह और अंततः स्वतंत्रता–उत्तर नवजागरण का अत्यंत महत्वपूर्ण युग माना जाता है।

शोध के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली (Objectives & Methodology)

- **शोध के प्रमुख उद्देश्य**

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य ध्येय जयपुर रियासत में 1920 ई. से 1957 ई. तक की अवधि के दौरान उपाश्रयी वर्ग, विशेष रूप से मीना जनजाति, के बहुआयामी सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण की ऐतिहासिक पड़ताल करना है। शोध के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **सामाजिक संरचना का विश्लेषणः** 1920.1957 के मध्य मीना समुदाय की आंतरिक सामाजिक व्यवस्था, गोत्र–पाल संरचना, रीति–रिवाजों तथा ज़मींदार और चौकीदार वर्गों के मध्य उत्पन्न सामाजिक दूरी का विस्तृत अध्ययन करना।
- **आर्थिक शोषण एवं कर–संरचना की पड़तालः** सामंती कृषि व्यवस्था, भू–राजस्व की दरों, बेगार प्रथा, तथा चौकीदारी हर्जाना (सामूहिक दंडात्मक वसूली) के अंतर्गत समुदाय की आर्थिक विपन्नता का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना।
- **औपनिवेशिक एवं रियासती दमनकारी कानूनों का प्रभावः** 1920 के दशक से लागू जरायम पेशा कानून (Criminal Tribes Act) तथा दैनिक थाने की हाजिरी व्यवस्था के सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक दुष्परिणामों का विश्लेषण करना।
- **सामाजिक चेतना एवं सुधार आंदोलनों का मूल्यांकनः** मीना क्षत्रिय सभा (1924), नीम का थाना सम्मेलन (1944), बासड़ी सम्मेलन (1946) तथा संत मगर सागर जी महाराज की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करना।

- **स्वतंत्रता–उत्तर पुनर्वास एवं राजनीतिक सशक्तिकरण** (1947-1957): कानून के पूर्ण निरसन (1952), लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं संवैधानिक आरक्षण के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

अभिलेखागार स्रोत संदर्भ (Primary Archival Source):

> राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर (RSAB): Jaipur State Records - Mahakma Khas (File No. C-4/B, 1928-1942: 'Meena Criminal Tribes Surveillance and Attendance Orders'); Jaipur Council of State Proceedings, 1930; rFkk Administrative Reports of Jaipur State (1920–1947)।

- **शोध कार्यप्रणाली** (Methodology)

यह शोध पत्र ऐतिहासिक–विश्लेषणात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों की प्रणालियों पर आधारित है। अध्ययन को प्रामाणिक बनाने के लिए निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग किया गया हैः

- **प्राथमिक स्रोत** (Primary Sources): राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर (RSAB) में संरक्षित जयपुर रियासत के 'महकमा खास' रिकॉर्ड्स, पुलिस एवं गृह विभाग की वार्षिक फाइलें (1920-1950), रियासती गज़ट नोटिफिकेशन, जयपुर राज्य प्रजामंडल के दस्तावेज तथा राजस्थान विधानसभा की 1952 से 1957 की कार्यवाहियों के अभिलेख। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाचार पत्रों (जैसे 'तरुण राजस्थान', 'प्रताप', 'नवजीवन') में प्रकाशित रिपोर्टों का संदर्भ लिया गया है।
- **द्वितीयक स्रोत** (Secondary Sources): प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों, जैसे डॉ. जी. एन. शर्मा, आर. एम. कासलीवाल, डॉ. एम. एस. जैन, तथा रावत मीना की शोध पुस्तकों, प्रासंगिक शोध पत्रिकाओं, समाजशास्त्रीय अध्ययनों एवं तत्कालीन गज़ेटियर्स का गहन तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति (Social & Economic Dynamics)

- **सामाजिक संगठन एवं विभाजन का ऐतिहासिक ढांचा**

जयपुर रियासत में मीना समुदाय का सामाजिक संगठन पारंपरिक रूप से 12 पाल और 52 गोत्रों (तथा स्थानीय स्तर पर हजारों खापों) में विभाजित था। यह समुदाय अपनी उच्च नैतिक परंपराओं, कबीलाई एकजुटता तथा पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। परंतु, औपनिवेशिक और सामंती प्रशासनिक नीतियों ने आजीविका और कानूनी स्थिति के आधार पर समाज को दो प्रमुख विखंडित वर्गों में विभाजित कर दियाः

- **ज़मींदार मीनाः** यह वर्ग मुख्य रूप से कृषि कार्य, पशुपालन और स्थायी ग्रामीण बसावटों से जुड़ा हुआ था। इनकी स्थिति आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर थी। ये अपनी स्वयं की भू–जोतों पर खेती करते थे तथा रियासत को नियमित भू–राजस्व (लगान) प्रदान करते थे। सामाजिक रूप से इन्हें अधिक सम्मानित माना जाता था क्योंकि इन पर आपराधिक कानूनों का सीधा प्रतिबंध नहीं था।
- **चौकीदार मीनाः** इस वर्ग को रियासत द्वारा गांवों, दुर्गों, चुंगियों तथा राजकीय मार्गों की सुरक्षा और चौकीदारी का पारंपरिक दायित्व सौंपा गया था। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह एक सामरिक सुरक्षा पद था, परंतु 19वीं सदी के अंत तक रियासती प्रशासन ने इसे एक अत्यंत शोषक व्यवस्था में बदल दिया। यदि किसी गांव में चोरी या डकैती होती थी, तो चौकीदार मीना वर्ग को उस चोरी हुए माल की शत–प्रतिशत भरपाई (हर्जाना) करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस दंडात्मक हर्जाना प्रणाली ने चौकीदार मीना समाज को अत्यधिक गरीबी और ऋणग्रस्तता में धकेल दिया।

- **आर्थिक प्रबंधन एवं आजीविका का संकट**

जयपुर रियासत में उपाश्रयी वर्गों की आर्थिक नीव पूरी तरह से वर्षा–आधारित कृषि, पशुपालन तथा रियासती सेवाओं पर आश्रित थी। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत इन पर अत्यधिक आर्थिक करों का भार लाद दिया गया था।

वर्ग / समूह	प्राथमिक आजीविका	प्रशासनिक एवं सामाजिक दायित्व	प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ व कर–भार
ज़मींदार मीना	कृषि, पशुधन पालन एवं सहायक कुटीर उद्योग	कृषि उत्पादन, भू–राजस्व भुगतान, ग्राम्य शांति	उच्च भू–राजस्व दरें (1/2 से 1/3 भाग), सिंचाई साधनों का अभाव, सामंती लाग–बाग (खूंटाबंदी, कांसली, खींच)
चौकीदार मीना	गांवों, गढ़ियों, राजकोष की सुरक्षा व चौकीदारी	रात्रि पहरेदारी, राजकीय हाजिरी देना, गश्त लगाना	बेगार (निःशुल्क श्रम), चोरी होने पर सामूहिक दंडात्मक हर्जाना ;च्मदंसजलद्धए जरायम पेशा कानून के आर्थिक प्रतिबंध
अन्य उपाश्रयी वर्ग (श्रमजीवी व सेवा जातियां)	श्रम, दस्तकारी, पारंपरिक सेवाएं	रियासती अधिकारियों व सामंतों की सेवा	अत्यधिक बेगार प्रथा, नकद आय का अभाव, सामंती उत्पीड़न एवं सामाजिक अलगाव

जयपुर रियासत की कर–प्रणाली में 'लाग–बाग' (विविध सामंती उपकर) का भारी बोझ था। ज़मींदार मीना कृषकों को उपज का एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त रियासती अधिकारियों के आवागमन पर 'खिचड़ी लाग', 'बैठ–बेगार' और पशु चराई पर 'घास–माली' जैसे कर वसूले जाते थे। सूखे और अकाल के वर्षों में भी लगान वसूली में कोई रियायत नहीं दी जाती थी, जिससे कृषक महाजनों (साहूकारों) के ऋणजाल में उलझते चले गए।

चौकीदार मीना वर्ग के लिए आर्थिक तबाही का सबसे बड़ा कारण 'चौकीदारी हर्जाना व्यवस्था' थी। रियासती नियमों के अनुसार, यदि किसी जमींदार या व्यापारी के घर चोरी होती थी, तो स्थानीय चौकीदार मीनाओं को उस राशि की भरपाई अपनी जेब से करनी पड़ती थी। प्रायः पुलिस और स्थानीय सामंत वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के बजाय निर्दोष चौकीदारों की संपत्ति नीलाम कर देते थे, उनके मवेशियों को ज़ब्त कर लेते थे और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने इस वर्ग को भूमिहीन श्रमजीवियों के रूप में परिणत कर दिया।

> **ऐतिहासिक दस्तावेज साक्ष्य** (1932):
>
> *"चौकीदार मीनाओं पर लगाया गया हर्जाना इतना अधिक है कि वे अपनी कृषि भूमि तथा पशुधन बेचने के बाद भी ऋण मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यह व्यवस्था उन्हें सुरक्षाकर्मी के स्थान पर बंधुआ मजदूर बना रही है।"*
>
> – रिपोर्टः अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद (जयपुर शाखा रिकॉर्ड्स, 1932)

इसके अतिरिक्त, 'बेगार प्रथा' (Unpaid Forced Labour) के तहत मीना समुदाय के लोगों को रियासती निर्माण कार्यों, सामंती ठिकानों में रसद ढोने, और शिकार के समय हांका लगाने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के ले जाया जाता था। इस प्रथा ने उनकी आत्मनिर्भरता को पूरी तरह नष्ट कर दिया।

औपनिवेशिक एवं रियासती नीतियों का दमनकारी प्रभाव (Repressive Impact)

- **जरायम पेशा कानून** (Criminal Tribes Act) **का क्रूर इतिहास**

ब्रिटिश भारत में 1871 ई. में लागू किया गया 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' (Criminal Tribes Act - CTA) औपनिवेशिक शासन का एक अत्यंत बर्बर और नस्लवादी कानून था। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के अनेक घुमंतू, योद्धा और विद्रोही समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' (Criminals by Birth) घोषित कर दिया था। जयपुर रियासत में यद्यपि यह कानून अप्रत्यक्ष रूप से पहले से प्रभावी था, परंतु 1920 के दशक में इसे अत्यधिक कड़ाई से लागू किया गया। 1930 ई. में जयपुर राज्य प्रशासनिक परिषद ने इसे 'जरायम पेशा कानून' के रूप में पूर्ण वैधानिक रूप प्रदान किया।

इस कानून के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक मीना पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी स्थानीय पुलिस थाने (या गढ़ी) में प्रतिदिन सुबह और शाम दैनिक हाजिरी (Attendance) देना अनिवार्य बना दिया गया। हाजिरी न देने पर कठोर कारावास, कोड़े मारना और आर्थिक दंड का प्रावधान था। यदि किसी व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर या धार्मिक उत्सव में जाना होता था, तो उसे पुलिस थाने से लिखित 'पास' (Permit) प्राप्त करना पड़ता था।

> **थाना हाजिरी का प्रशासनिक रिकॉर्ड** (1938):
>
> जयपुर राज्य के 'महकमा खास' (गृह विभाग) फाइल सं. 412/1938 के अनुसारः "जयपुर रियासत के आमेर, जमुआ रामगढ़, लालसोट, बांदीकुई और बस्सी थानों में कुल 34,210 मीना व्यक्तियों को दैनिक हाजिरी रजिस्टर में पंजीकृत किया गया था, जिनमें 8,400 से अधिक महिलाएं शामिल थीं।"

इस कानून ने समुदाय के मौलिक मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह छिन्न–भिन्न कर दिया। महिलाओं को तड़के सुबह पुलिस थानों में हाजिरी देने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ता था, जहाँ वे पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार और यौन उत्पीड़न का शिकार होती थीं। इस व्यवस्था ने पूरे समुदाय के भीतर गहरा मानसिक भय और अपमानबोध उत्पन्न कर दिया।

- **सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम**

जरायम पेशा कानून के दुष्परिणाम केवल कानूनी उत्पीड़न तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने मीना समाज के ताने–बाने को सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह नष्ट कर दियाः

- **सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रासः** सम्पूर्ण समुदाय पर कानूनन 'अपराधी' का ठप्पा लग जाने से समाज के अन्य वर्गों में उनके प्रति संशय और भेदभाव का दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। उनकी सामाजिक गतिशीलता पूरी तरह अवरुद्ध हो गई।
- **शिक्षा का संपूर्ण विनाशः** बच्चों के लिए 12 वर्ष की आयु से ही थाने में हाजिरी देना अनिवार्य था। इसके कारण वे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते थे। जो बच्चे पढ़ने का प्रयास भी करते, हाजिरी के समय के कारण उनका स्कूल छूट जाता था। इसके परिणामस्वरूप पीढ़ियों तक निरक्षरता का अंधकार बना रहा।
- **कृषि और व्यापार का पतनः** हाजिरी देने के लिए किसानों को अपने खेतों का काम छोड़कर प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर थाने जाना पड़ता था। फसलों की बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय में हाजिरी की पाबंदी से कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर प्रतिबंध के कारण व्यापारिक और कुटीर गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गईं।
- **पारिवारिक विघटन एवं निर्धनताः** हाजिरी न देने या विलंब होने पर पुरुषों को जेल में डाल दिया जाता था, जिससे परिवार का भरण–पोषण रुक जाता था। जुर्माना भरने के लिए लोगों को अपनी

ज़मीनें और गहने महाजनों के पास गिरवी रखने पड़े, जिससे ऋणग्रस्तता चरम सीमा पर पहुँच गई।

सामाजिक जागृति, संगठित आंदोलन एवं सत्याग्रह (Social Awakening)

20वीं सदी के तीसरे दशक में औपनिवेशिक और सामंती उत्पीड़न के विरुद्ध मीना समाज के आंतरिक नेतृत्व और शिक्षित प्रबुद्ध युवाओं में एक अभूतपूर्व सामाजिक–राजनीतिक चेतना का बीजारोपण हुआ। दमन के उत्तर में इस समुदाय ने स्वयं को संगठित कर एक अनुशासित आंदोलन का रूप दिया।

वर्ष	महत्वपूर्ण घटना / सम्मेलन	प्रमुख नेतृत्वकर्ता	ऐतिहासिक परिणाम एवं महत्व
1924 ई.	'मीना क्षत्रिय सभा' की स्थापना	महादेव राम, छोटूराम झारवाल, जवाहरलाल	सामाजिक कुरीतियों (मदिरापान, बाल–विवाह) का त्याग, शिक्षा प्रसार और संगठित विरोध का सूत्रपात।
1933 ई.	जयपुर राज्य जरायम पेशा सुधार समिति	लक्ष्मी नारायण झारवाल, बंशीधर शर्मा	रियासती सरकार को ज्ञापन सौंपना, महिलाओं और बच्चों की हाजिरी में आंशिक छूट की मांग।
1944 ई.	ऐतिहासिक नीम का थाना सम्मेलन	संत मगर सागर जी महाराज	हजारों मीनाओं का महाधिवेशन, 'मीना पुराण' के माध्यम से ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना, पूर्ण कानून निरसन का प्रस्ताव।
1946 ई.	बासड़ी (जयपुर) सम्मेलन एवं 'मुक्ति दिवस'	टीकाराम पालीवाल, पंडित हीरालाल शास्त्री	13ए000 से अधिक चौकीदारों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र एवं बिल्ले (Badges) जमा करवाना। रियासत पर अभूतपूर्व नैतिक दबाव।
1952 ई.	जरायम पेशा कानून का पूर्ण निरसन	पंडित टीकाराम पालीवाल (प्रथम मुख्यमंत्री)	राजस्थान विधानसभा द्वारा कानून को पूरी तरह निरस्त किया गया। सदियों पुराने औपनिवेशिक कलंक का अंत।

- **संत मगर सागर जी महाराज और नीम का थाना सम्मेलन (1944)**

मीना जन–जागरण के इतिहास में जैन मुनि संत मगर सागर जी महाराज का योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने मीना इतिहास के प्राचीन अभिलेखों, वंशावलियों और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन कर 'मीना पुराण' नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ ने समुदाय को उनके प्राचीन, गौरवशाली और स्वतंत्र इतिहास का स्मरण कराया और उनमें व्याप्त हीनभावना को समाप्त किया।

अप्रैल 1944 ई. में नीम का थाना (सीकर) में संत मगर सागर जी की अध्यक्षता में एक विशाल ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस महासम्मेलन में जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और बूंदी रियासतों के हजारों प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में 'अखिल भारतीय मीना क्षत्रिय महासभा' का पुनर्गठन किया गया तथा स्पष्ट रूप से यह मांग रखी गई कि जरायम पेशा कानून जैसे अमानवीय कानून को अविलंब समाप्त किया जाए और महिलाओं तथा बच्चों की थाने में हाजिरी तुरंत रोकी जाए। इस सम्मेलन ने आंदोलन को व्यापक राष्ट्रीय पहचान दी।

- **महिला भागीदारी एवं 'मुक्ति दिवस' (1946)**

इस सत्याग्रह आंदोलन की सबसे विशिष्ट और क्रांतिकारी विशेषता महिलाओं की अभूतपूर्व और सक्रिय सहभागिता थी। रूपवंती देवी, ग्यारसी देवी और अन्य प्रबुद्ध महिलाओं ने गांव–गांव जाकर महिलाओं को हाजिरी न देने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने पुलिस उत्पीड़न का डटकर मुकाबला किया और थानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए।

जयपुर राज्य प्रजामंडल के नेताओं (जैसे ठक्कर बापा, पंडित हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल और बाबा हरिश्चंद्र) ने इस आंदोलन को पूर्ण नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया। 28 अक्टूबर 1946 ई. को बासड़ी (जयपुर) में आयोजित विशाल सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। रियासती दबाव के विरोध में लगभग 13,000 चौकीदार मीनाओं ने अपने सुरक्षा पदों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया और अपने राजकीय बैज (बिल्ले) सरकार को वापस सौंप दिए। इस दिन को आंदोलनकारियों ने 'मुक्ति दिवस' (Liberation Day) के रूप में मनाया। इस सामूहिक प्रतिरोध ने जयपुर रियासत के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया।

स्वतंत्रता के बाद का कालखण्डः पुनर्वास एवं सशक्तिकरण (1947–1957 ई.)

- **कानूनों का पूर्ण निरसन एवं वैधानिक मुक्ति (1952)**

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के उपरांत भी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण 'जरायम पेशा कानून' के अवशेष तुरंत समाप्त नहीं हो सके थे। यद्यपि 1946 में महिलाओं और बच्चों की हाजिरी समाप्त कर दी गई थी, परंतु पुरुषों के संदर्भ में कुछ प्रतिबंध बने रहे। स्वतंत्र भारत के नए संविधान (26 जनवरी 1950) द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 19, और 21) के प्रकाश में इस दमनकारी कानून का बना रहना एक गंभीर विरोधाभास था।

राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित टीकाराम पालीवाल, स्वतंत्रता सेनानियों तथा मीना समाज के विधायकों के सतत प्रयासों से अंततः 31 मार्च 1952 ई. को राजस्थान राज्य विधानसभा ने कानून पारित कर 'जरायम पेशा कानून' (Criminal Tribes Act) को पूरी तरह निरस्त (Repeal) कर दिया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा 1952 में 'विमुक्त जातियां' (De-notified Tribes - DNT) आयोग की सिफारिशों पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया। इस वैधानिक मुक्ति ने मीना समुदाय को सदियों पुरानी मानसिक, सामाजिक और कानूनी गुलामी से स्थायी स्वतंत्रता प्रदान की।

> **विधानसभा कार्यवाही उद्धरण (1952)**
>
> *"जरायम पेशा कानून का निरसन केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के लाखों निर्दोष नागरिकों को पुनः उनके नैसर्गिक मानवाधिकार और सम्मान लौटाने का एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक कार्य है।"*
>
> – पंडित टीकाराम पालीवाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री (राजस्थान विधानसभा कार्यवाही अभिलेख, अप्रैल 1952)

- **पुनर्वास, शिक्षा, और राजनीतिक–आर्थिक उत्थान (1952–1957)**

1952 से 1957 का दशक मीना समाज और राजस्थान के अन्य उपाश्रयी वर्गों के लिए नवजागरण, पुनर्वास और सामाजिक–आर्थिक पुनरुत्थान का काल सिद्ध हुआ। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, कल्याणकारी योजनाओं और संवैधानिक संरक्षण के माध्यम से समाज में बहुआयामी सकारात्मक बदलाव आएः

 - **शैक्षणिक क्रांति एवं साक्षरता का प्रसारः** जरायम पेशा कानून हटने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तेज़ी से हुई। समाज सुधारकों ने छात्रालयों (Hostels) का निर्माण कराया (जैसे जयपुर और कोटपूतली में मीना छात्रालय)। युवाओं ने प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं की ओर कदम बढ़ाया, जिससे साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
 - **संवैधानिक आरक्षण एवं प्रशासनिक सहभागिताः** भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त होने के बाद शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विधायिका में आरक्षण के प्रावधानों ने समुदाय के उत्थान में उत्प्रेरक का कार्य किया। 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही इस

समुदाय के युवाओं ने राज्य पुलिस services, राजस्व प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और राज्य सिविल सेवाओं (RAS) में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी।

- **लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरणः** 1952 और 1957 के प्रथम व द्वितीय आम चुनावों में मीना समुदाय के प्रतिनिधियों ने राजस्थान विधानसभा और भारतीय संसद में भारी संख्या में जीत दर्ज की। स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था (1959) के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व का सीधा हस्तांतरण उपाश्रयी वर्गों के हाथों में हुआ। इससे नीति–निर्माण और विकास कार्यक्रमों में उनकी सीधी और सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- **आर्थिक विविधीकरण एवं भू–सुधारः** राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम (1952. 1954) के तहत कृषकों को उनकी ज़मीन पर स्थायी खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इससे ज़मींदार और पूर्व–चौकीदार दोनों वर्गों को भूमि का मालिकाना हक मिला। पारंपरिक, अनिश्चित कृषि और अपमानजनक चौकीदारी पर निर्भरता कम हुई और लोगों ने व्यापार, परिवहन, ठेकेदारी तथा आधुनिक सरकारी नौकरियों की ओर रुख किया।

निष्कर्ष (Conclusion)

1920 ई. से 1957 ई. तक का समयांतराल जयपुर रियासत के उपाश्रयी वर्ग, विशेष रूप से मीना जनजाति के इतिहास में अभूतपूर्व उथल–पुथल, अमानवीय दमन, अनुशासित संगठित संघर्ष और अंततः युगांतकारी सामाजिक–आर्थिक पुनरुत्थान का युग था। औपनिवेशिक सत्ता की नस्लवादी नीतियों और सामंती ढांचे द्वारा थोपे गए 'जरायम पेशा कानून', 'दैनिक थाना हाजिरी' और 'चौकीदारी हर्जाना' जैसी शोषक प्रणालियों ने इस वीर और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध समुदाय को पूर्णतः निर्धन, असहाय और समाज के अंतिम पायदान (हाशिए) पर धकेलने का प्रयास किया था।

तथापि, इस समुदाय ने अपनी कबीलाई एकजुटता, आंतरिक सामाजिक सुधार आंदोलनों, संत मगर सागर जी महाराज के आध्यात्मिक व ऐतिहासिक मार्गदर्शन, 'मीना क्षत्रिय सभा' के सुदृढ़ संगठन, महिलाओं के अपूर्व साहस तथा जयपुर राज्य प्रजामंडल के राजनीतिक समर्थन के बल पर इस क्रूर कानून का प्रतिरोध किया। बासड़ी सम्मेलन में हजारों चौकीदारों द्वारा त्यागपत्र देकर मनाया गया 'मुक्ति दिवस' भारत के औपनिवेशिक इतिहास में नागरिक अधिकारों के लिए लड़े गए महानतम अहिंसक सत्याग्रहों में से एक है।

1952 ई. में इस काले कानून के पूर्ण निरसन के उपरांत, 1957 तक के पांच वर्षों की अल्प अवधि में इस समाज ने शैक्षणिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में जो अप्रत्याशित प्रगति की, वह भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संरक्षण की सफलता का एक बेजोड़ उदाहरण है। जिस वर्ग को कभी 'जन्मजात अपराधी' कहकर अपमानित किया गया था, उसी वर्ग ने अपनी कर्मठता, प्रतिभा और संवैधानिक अधिकारों के बल पर आधुनिक राजस्थान के प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में स्वयं को एक अत्यंत सशक्त, निर्णय–निर्माता और अग्रणी समुदाय के रूप में स्थापित किया। यह शोध पत्र यह स्पष्ट रेखांकित करता है कि उपाश्रयी वर्गों का इतिहास केवल उनके दमन की कहानी नहीं है, बल्कि उनके स्व–चेतना, संघर्ष और पुनरुत्थान की एक गौरवशाली गाथा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर (RSAB): Jaipur State Records - Mahakma Khas Files (1920–1952); Home Department Reports on Criminal Tribes Act; Jaipur Council of State Proceedings (1930-1946).
2. राजस्थान राज्य विधानसभा अभिलेखः राजस्थान विधानसभा कार्यवाहीः जरायम पेशा एक्ट निरसन विधेयक चर्चा (मार्च–अप्रैल 1952), जयपुर.
3. शर्मा, डॉ. गोपीनाथ (1968): राजस्थान का सामाजिक इतिहास, आगराः शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी.

4. कासलीवाल, आर. एम. (1989): जयपुर राज्य का इतिहास एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.

5. मीना, रावत (2004): मीना जनजाति का इतिहास, संस्कृति एवं सामाजिक संरचना, जयपुरः चिन्मय प्रकाशन.

6. जैन, डॉ. एम. एस. (1993): आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जयपुरः स्टूडेंट बुक कंपनी.

7. गहलोत, जगदीश सिंह (1937): राजपूताने का इतिहास (भाग 1 व 2), जोधपुरः हिंदी साहित्य मंदिर.

8. चौधरी, विजय शंकर (2010): राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और सामाजिक चेतना, नई दिल्लीः अनामिका पब्लिशर्स.

9. संत मगर सागर (1942): मीना पुराण (ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन), जयपुरः मीना क्षत्रिय महासभा प्रकाशक.

10. टॉड, ले. कर्नल जेम्स (1829): एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान (हिंदी अनुवाद), नई दिल्लीः रूपा एंड कंपनी.

❑❑❑